क्रम संख्या – 207 (ख) पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/20009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेन्ट)

सरकारी सरकार द्वारा प्रकाशित

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियम आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर 2009 ई0
अग्रहायण 19, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 263/XIII-II/411(5)/2003

देहरादून : दिनांकः 10–12–2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 2009

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा नियमावली, 2009 कहलायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगी ।

सेवा की प्रास्थिति :

2. उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' और ''घ'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं :

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) ''नियुक्त प्राधिकारी'' से निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय अभिप्रेत है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो 'भारत का संविधान' के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है ,

(ग) ''संविधान'' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है ,

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ,

(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ,

(छ) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड जलागम विभाग रेखांकन सेवा अभिप्रेत है,

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, तथा

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

भाग – 2 संवर्ग

सेवा का संवर्ग :

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा पर निर्धारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट–एक में दी गयी है ।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेगें अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्त्रोत :

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :–

(क) ट्रेसर – सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) मानचित्रकार – (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ट्रेसरों जिन्होने ट्रेसर के पद पर दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण :

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हताऐं

राष्ट्रीयता :

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो,या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो :

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक आसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगाः

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी : जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हताएं :

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित आर्हताएं होनी चाहिएं

पदनाम	अर्हताऐं
मानचित्रकार	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
ट्रेसर	ज्यामितीय रेखांकन विषय के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड की हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हतायें :

9. अभ्यर्थी जिसने :–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो , या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो,

उसे अन्य बातें समान होते हुए भी, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु :

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिक

से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र :

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पद्च्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति :

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष के विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तक से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए की ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता :

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग–5 भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा :

14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य

श्रेणीयों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

मानचित्रकार एवं ट्रेसर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया :

15. (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगाः–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(3) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सम्बन्धित पद के शैक्षिक अर्हता के पाठ्यक्रम के अनुसार, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (**Answer Sheet**) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) को उत्तराखंड की वेबसाईट **www.ua.nic.in** पर प्रदर्शित या दैनिक समाचार पत्र में जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रकाशित किया जायेगा।

(4) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छंटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड़ होगा, के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थीयों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ

अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन :

16. सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(1). नियुक्ति प्राधिकारी **अध्यक्ष**

(2). अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। **सदस्य**

(3). अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

(4). भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। **सदस्य**

टिप्पणी :

यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

पदोन्नति के लिए भर्ती की प्रकिया :

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर नियम– 16 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

3– चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 : नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति :

19. (1) उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 17 एवं 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी भर्ती वर्ष में नियुिक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो श्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियॉ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा :

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा ,

(2) नियुक्ति प्राधिकारी– पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगेः

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या वह अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण :

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो ,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता :

22.(1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते है।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय,

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया है।

(4) जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक श्रोत द्वारा की जाती है और श्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहेः

परन्तु यह कि :

(एक) जहॉ किसी स्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से अधिक की जाती है वहॉ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियॉ हों, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहॉ किसी स्रोत से नियुक्तियॉ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति

की गयीं। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा ।

(तीन) जहॉ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी श्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियॉ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य श्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियॉ की जाती हैं, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

भाग – 7 : वेतन आदि

वेतनमान :

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

2– इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नानुसार होगें:–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	मानचित्रकार	5200-20,200	2400.00
2.	ट्रेसर	5200-20,200	1800.00

परिवीक्षा के दौरान वेतन :

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परिक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहॉ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा,

परन्तु यह कि, यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग – 8 : अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन :

25. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी सिफारिश, चाहें लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन :

26. ऐसे विषयों के संबंध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण :

27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन, इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकेगी अथवा शिथिल कर

सकेगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति :

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–एक

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	कुल पद
1.	मानचित्रकार	–	04	04
2.	ट्रेसर	–	04	04

आज्ञा से,

ह0/–
(एम0 एच0 खान)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 263/XII-III/411(5)/2003, dated December 10, 2009 for general information:

No. 263/XIII-II/411(5)/2003,

dated, Dehradun, December 10, 2009

Miscellaneous

In exercise of the powers' conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Watershed Management Directorate, Draftsman, Tracer Service,

UTTARAKHAND WATERSHED DEPARTEMENT TRACER SERVICE RULES, 2009

PART I- GENERAL

Short title and

1. (1) These rules may be called, "The Uttarakhand Watershed Department Tracer Rules, 2009"

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Watershed Department Draftsman, Tracer is a subordinate service, comprising Group 'C' and 'D' Posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context

(a.) "Appointing Authority" means The Director, Watershed Management Directorate.

(b.) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the constitution;

(c.) " Constitution" means the Constitution of India;

(d.) "Government" means the State Government of Uttarakhand.

(e.) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(f.) "Member of service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(g.) "Service" means the Uttarakhand Watershed Department Draftsman, Tracer Service;

(h.) "Substantive Appointment" means an appointment not being an adhoc appointment on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the Rules, and if there were no Rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

(i.) "Year of Recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part – II- Cadre

Part – II – Cadre of Service

4.(1) The strength of the Service and of each category of posts there in shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub rule (1) be as given in Appendix-I Provided that-

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III- Recruitment

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources-

(i) Tracer by direct recruitment

(ii) Draftsman (a) 50 Percent by Direct recruitment

(b) 50 percent by promotion form amongst substantively appointed Tracers, who have completed ten years service.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand Shall be in accordance with the Government orders in force at the time of the recruitment.

Part- IV- Qualifications

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be-

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee, who come over to India before Ist January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganiya and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provide that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided also that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided further that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and such a candidate can be retained in service after a period of one year, only if he has acquired Indian Citizenship.

Note- a candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination and he may also be provisionally

appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification

8. A candidate for recruitment to the various posts in the service must have the following qualifications.

Designation	Qualification
(i) Draftsman	Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or Uttarakhand Board of High School and Intermediate Education and Examination or an examination recognized by the Government as equivalent thereto and a certificate of Draftsman from the Council of Technical Education Government of Uttar Pradesh/Uttarakhand or an institution recognized by the Government as equivalent thereto.
(ii) Tracer	Must have passed High School examination of the Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh/ Uttarakhand with Geometrical Drawing as one of the subject.

Preferential Qualifications

9. In the matter of direct recruitment other things being equal, a candidate will be given preference if he has---

(i) Served in the territorial army for a minimum period of two years, or

(ii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1st of the year in which recruitment is to be made if the posts are advertised during the period

from January 1st to June 30th and on July 1st , if the posts are advertised during the period from July 1st to December 31st :

Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates belonging to the scheduled castes, Scheduled Tribes, other backward classes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, be higher by such number of years, as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note- Persons, dismissed by the Union Government or a state Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude, shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this Rule.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free form any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of Fitness in accordance with the rules

framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume II, Part III.

Provided that a medical certificate of fitness not be required from a candidate recruited by promotion.

Part – V – PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates, belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes and other categories belonging to the state of Uttarakhand under Rule 6, and intimate to the Employment Exchange.

Procedure for direct recruitment to the post of Draftsman and Tracer

15. (1) For direct recruitment the Appointing Authority shall publish the application form in not less than two daily newspapers, having wide circulation.

(2) The Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published under sub rule (1) and notify the vacancies in the following manner :-

(i) By issuing advertisement in daily newspaper, having wide circulation;

(ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers and

(iii) By notifying the vacancies to the employment exchange.

(3) (i) There Shall be a written test for selection carrying 100 marks. Reternched employees shall be awarded 5 marks for each completed year of service subject to the maximum of 15 marks.

Merit list shall be prepared on the basis of aggregate of marks obtained in the written examination and other evaluations.

(II)-(a) There shall be an objective type written examination carrying 100 marks consisting of a single question paper which will include General Knowledge and General Studies as per the academic qualifications of the concerned post While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ marks for each incorrect answer as negative marking.

(b) When the examination is over, the candidates shall be allowed to carry back the Question Booklet of the written test with them.

(C) The Answer Sheet of the written examination paper shall be in duplicate with carbon copy and candidate shall be allowed to carry back the duplicate copy of the answer sheet with him.

(a) After the written examination the Answer key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in or shall be published in daily newspaper having wide circulation.

(4) The merit list (final selection list) shall be prepared in order of proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained in the written examination and other evaluations including referential marks for retrenched employee. If two or more candidates obtain equal marks in aggregate, the candidate obtaining more marks in the written examinations shall be placed higher in the selection list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examinations also, the candidate senior in age shall be placed higher in the selection list. The number of the names in the list shall be more (but not more than twenty-five percent) than the number of vacancies.

Constitution of selection committee

16. For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a selection committee comprising -

(i)	Appointing Authority	**Chairman**
(ii)	An officer belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes, nominated by the Chairman, if the Chairman does not belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Chairman.	**Member**
(iii)	An officer belonging to Other Backward Classes, shall be nominated by the chairman, if the chairman does not belong to the other backward classes. If the chairman belongs to the other backward classes, an officer other than other backward classes or scheduled castes or scheduled Tribes shall be nominated by the chairman.	**Member**
(iv)	An officer, having adequate knowledge in the related filed according to the requirements of the post, for which recruitment is to be made, shall be nominated by the Chairman.	**Member**

Note- If the Appointing Authority is the Head of the Department in such case all the members of the Selection Committee shall be nominated by him. He may, on his behalf, nominate an officer senior to other members, as Chairman of the Selection Committee.

Procedure for Recruitment by Promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, trough the Selection Committee, constituted under rule 16.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidate, arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Combined selection list

18. If recruitment is to be made both by direct recruitment and by promotion in any year a combined selection list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

PART VI- APPOINTMENT PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to sub rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order, in which they stand in the lists, prepared under Rules 15,17 and 18, as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment if appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, no regular appointment shall be made until selection from both the sources are made and a combined list is prepared in accordance with Rule-18.

(3) If more than one appointment orders are issued, in respect of any one selection, a combined order shall also be issued mentioning the names of the selected persons in order of seniority as determined in the selection or as the cadre from which may be, as it stand in the cadre from which they are will be promoted.

(4) If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 18. Appointing Authority may make appointment in temporary or officiating capacity also from the list, prepared under sub rule (1). If no candidate borne on these is available, he may make appointments eligible in such vacancy from amongst persons eligible for appointment under these Rules. Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Probation

20. (1) A person on appointment to a post in the Service or against a permanent vacancy, shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation, in individual cases, specifying the date, upto which the period is extended.

Provide that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond 2 years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does no hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) a probationer, who is reverted or whose services to are dispensed under sub rule (3), shall be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose computing the period of probation.

Confirmation

21. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation, or extended period of probation is reparted.

(a) His work and conduct is reported to be satisfactory,
(b) His integrity is certified, and
(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

22. Expect as hereinafter provided, the seniority of a person, shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules 2002 and if two or more

persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment orders:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment, and in other case, it will mean the date of issue of the order.

(2) The inter se seniority of persons, appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the selection committee.

Provided that a candidate, recruited directly may lose his seniority of he fails to joint without valid reasons, when the vacancy is offered to him.

(3) The inter se seniority of persons, appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where recruitment are to he made both by promotion and direct recruitment or by any one source and the respective quota is prescribed the if inter se seniority shall be determined by arranging the names in cyclic order in the combined list prepared in accordance with Rule-18 in such, manner that the prescribed percentage is mentioned:

Provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the inter se seniority of persons appointed in axcess of quota shall be pushed down to the subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get the seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however that in the combined list of that year to be prepared under this Rule, their names shall be placed at

the top followed by the names in cyclic order of the other appointments.

(iii) Where, in accordance with the Rules or prescribed procedure the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant Rule or procedure be filled from other source and the appointments in excess of quota are so made, the persons so appointed shall got the seniority of that every year as if they are appointed against he vacancies of the quota.

Part VII- PAY ETC

Scale of

23. (1) The Scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the shall be such as may be determined by the Government from time to time.

2. The Scale of pay at the time of commencement of these rules shall be as follows:-

S.No.	Designation	Date 01-01-06 revised pay	Grade pay
1	Draftsman	5200-20,200	2400.00
2	Tracer	5200-20,200	1800.00

Pay During

Probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Govt. service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, passed departmental examination and undergone training where prescribed and the second increment after two years service for completion of probation period and is also confirmed.

Provide that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Govt. shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.
(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government service, shall, be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants, generally serving in connection with the affairs of the state.

Part VIII-Other Provisions

Canvassing

25. No. recommendations either written or oral, other than those required under the rules applicable to the service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to government Servants, serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the Conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of a person appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the Rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of the rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

28. Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions, required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time in this regard.

Appendix –I

S.No.	Designation	Permanent	Temporary
1	Draftsman	-	4
2	Tracer	-	4

By order,

M.H. KHAN
Secretary